राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS-SNA-18/FD/ 7289 दिनांक 10/3/26

SNA खाताधारक विभाग
समस्त।

विषयः माह मार्च 2026 के दौरान योजना संचालन पोर्टल से केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमों के भुगतान संव्यवहारों एवं अंकमिलान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 का अंतिम माह चल रहा है। अतः केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमों के भुगतान संव्यवहारों तथा योजनान्तर्गत रीलिज एवं व्यय के अंकमिलान हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश अधीनस्थ क्रियान्वयन एजेन्सियों (IA's) को भी प्रदान करावें :–

1. सिंगल नोडल बैंक खाते में अर्जित ब्याज राशि (केन्द्रीयांश / राज्यांश) को भारत सरकार व राज्य सरकार के राजकोष में निर्धारित अनुपात में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.01.2023 व 14.03.2024 में विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई है।
2. अधीनस्थ क्रियान्वयन एजेन्सियों को SNA में आंवटित लिमिट राशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक या उससे पूर्व किये जाने के संबंध में निर्देशित करें।
3. 31 मार्च 2026 को राजकीय अवकाश के दौरान बैंकों द्वारा ई–पेमेन्ट फाईल्स का भुगतान स्वीकार किया जायेगा। अतः उक्त दिवसों को भी योजना संचालन पोर्टल से बिल बनाकर भुगतान किया जा सकेगा।
4. एस.एन.ए. खाताधारक बैंक तथा एन.आई.सी. के अधिकारियों से मिलकर योजना संचालन पोर्टल से किये गये संव्यवहारों के अंकमिलान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. योजना संचालन पोर्टल पर प्रदर्शित व्यय एवं release राशि का अंकमिलान पी.एफ.एम.एस. रिपोर्ट से करें तथा अन्तर राशि की सूचना एन.आई.सी. को उपलब्ध कराते हुए Reconciliation की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. अधीनस्थ क्रियान्वयन एजेन्सियों को निर्देश प्रदान कराएं कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवसों में सिस्टम पर कार्यभार की अधिकता के मध्यनजर योजनान्तर्गत लंबित दायित्वों का भुगतान यथा संभव दिनांक 25.03.2026 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।
7. जिन वेण्डर्स / लाभार्थियों को इस माह मार्च 2026 के दौरान भुगतान किया जाना है, उन्हें पी.एफ.एम.एस. वेण्डर कोड़ अविलम्ब जारी किया जाना सुनिश्चित कराएं ताकि इस कारण भुगतान प्रभावित न हो।
8. अधीनस्थ IA's को निर्देश प्रदान कराएं कि दिनांक 31.03.2026 को योजना संचालन पोर्टल पर भुगतान फाईल बनाने की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक ही उपलब्ध होंगी अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

9/3/2026

9. वेण्डर्स / लाभार्थियों / कार्मिकों को किये गये भुगतानों में से की गई आयकर / जी.एस.टी.–टी.डी.एस. कटौती, तथा राज्य टैक्स से संबंधित कटौतियों को दिनांक 31.03.2026 से पूर्व जमा किया जाकर तथा माह मार्च 2026 में की गई कटौतियों का समायोजन (Settlement) दिनांक 31.03.2026 तक किया जाना सुनिश्चित करें।
10. योजना संचालन पोर्टल पर e-advice अन्तर्गत प्रदर्शित सभी बिलों को दिनांक 31.03.2026 तक प्रोसेस किया जाना सुनिश्चित करें।
11. वेण्डर्स / लाभार्थियों के एजेन्सी स्तर पर लंबित बिलों को दिनांक 25.03.2026 तक SNA फॉरवर्ड किये जाने के संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करें।
12. एस.एन.ए. ई–पेमेन्ट फाईलों का पर्यवेक्षण करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय करते हुये भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें। बैंक स्तर पर पेंडिंग ई–पेमेन्ट फाईल की सूचना बैंक को नियमित रूप से ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराएं।
13. योजना संचालन पोर्टल से लाभार्थियों / वेण्डर्स के बिलों की संख्या / ई–पेमेन्ट फाईल्स की संख्या को नियंत्रित करने हेतु, क्रियान्वयन एजेन्सियों को एक बिल के अन्दर ही multiple vendors/beneficiaries के बिल बनाये जाने के संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सियों को निर्देश प्रदान किये जावे।

भवदीया

9/3/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS-SNA-18/FD/7290-94 दिनांक 10/3/26

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को संचालन पोर्टल / आई.एफ.एम.एस. पर प्रदर्शित कराए जाने हेतु।
4. परियोजना निदेशक (IFMS), कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)